



कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)
ई-मेलआई.डी. -janjgirdcpu@gmail.com

क्रमांक / 430 / म.बा.वि. / मि.वा. / 2026-27

जांजगीर दिनांक 4 / 8 / 2026

// प्रेस विज्ञप्ति //

मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 16/3/2026 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त 02 पदों पर भर्ती के लिये पात्र आवेदन न मिलने के कारण पुनः पात्र आवेदकों से दिनांक 5/8/2026 से 31/8/2026 तक जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-जांजगीर-चांपा के पते पर आवेदन स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट <https://janjgir-champa.gov.in> व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
जांजगीर, दिनांक 4 / 8 / 2026

पृ0क0/430/आईसीपीएस/मबावि/2026-27
प्रतिलिपि:-

- 01.संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- 02.कलेक्टर जिला-जांजगीर चांपा को सादर सूचनार्थ।
- 03.उपसंचालक जनसम्पर्क विभाग जिला-जांजगीर-चांपा(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।
- 04.जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी(एन.आई.सी.) जिला-जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन को जिले की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)



कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)
ई-मेलआई.डी. -janjgircpu@gmail.com



क्रमांक / 131 / म.बा.वि. / मि.वा. / 2026-27

जांजगीर दिनांक 11 / 08 / 2026

"विज्ञापन"

मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं ए में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 16.03.2026 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे । उक्त 02 पदों पर भर्ती के लिये पात्र आवेदन न मिलने के कारण पुनः दिनांक 31/08/2026 तक जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-जांजगीर-चांपा के पते पर आवेदन स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

01.जिला जांजगीर-चांपा के शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	परामर्शदाता	0	01	0	0	01	23170/-
2	आर्ट एवं क्राफ्ट संगीत शिक्षक	0	01	0	0	01	10000/-

टीप :- पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।

02.बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी :-

पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
परामर्शदाता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/जन स्वास्थ्य/काउंसलिंग में स्नातक एवं काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/ कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकार/एनजीओ के साथ काम करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
आर्ट एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वी	-	शासकीय/मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थान में कला/क्राफ्ट/संगीत शिक्षक के रूप में काम करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।

- 2.1. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

03. आयु सीमा-

- 3.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 3.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।
- 3.3. आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण-पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा।
04. निवास :- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
05. पदों हेतु आरक्षण :- संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
06. बाल देखरेख संस्था अथवा मिशन वात्सल्य के कर्मचारी के रूप में कार्यरत होने के दौरान कदाचरण/वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने से कार्य से पृथक् किये गये कर्मचारी अपात्र होंगे।
07. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
08. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- टीप :- कंडिका-07 एवं 08 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
09. अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-
- 9.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।
- 9.2. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 9.3. आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवधि यथा दिनांक/माह/वर्ष का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- 9.4. अनुभव प्रमाण पत्र में पृथक्-पृथक् पद हेतु अनुभव का पृथक् अवधि व पदवार स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

- 9.5. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

टीप :- आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।

10. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।
11. नियुक्ति प्राधिकारी :-जिला स्तरीय पदों के लिए जिला-कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।
12. अंकीय प्रणाली :-निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी :-
 - 12.1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 70 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।
 - 12.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात् प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
 - 12.3 इन 63 बाल देखरेख संस्था में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को तथा कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
 - 12.4 उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
 - 12.5 व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे।
 - 12.6 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
13. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 25 के उप कंडिका 25.1 एवं 25.2 पर प्राप्त कुल अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात पांच (1:5) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।
 - 13.1. चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
 - 13.2. प्रत्येक पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

14. नियुक्ति की अवधि :-

- 14.1. इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।
- 14.2. जिला बाल संरक्षण इकाई/बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 14.3. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताये भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 14.4. इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 14.5. नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- 14.6. उपरोक्त समस्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत योजना के स्वीकृत पद है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2489/239/सा./2023/50 दिनांक 04.10.2023 द्वारा जारी राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ की मानव संसाधन नीति 2023 द्वारा शासित होंगे।

15. आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-

- 15.1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- 15.2. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- 15.3. किसी विशेष पद के लिए प्रवर्गवार पृथक-पृथक आवेदन नहीं किये जायेंगे।
- 15.4. आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।
- 15.5. आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज़ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
- 15.6. निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

- 15.7. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
16. मूल आवेदन जमा करने के पश्चात् अथवा दावा आपत्ति के समय नवीन अभिलेख/दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
17. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।
18. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी <https://janjgir-champa.gov.in> पर देखी जा सकती है।
19. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई-मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।

टीप :-

01. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
02. व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

स्वयं द्वारा
अभिप्रेक्षित नवीनतम
पासपोर्ट साईज फोटो
पर हस्ताक्षर जिराफा
प्राप्त आवेदन पत्र में
होना चाहिए यस्या
नहीं

1. आवेदित पद नाम :-
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. जन्मतिथि (अंको में) :- वर्ष माह दिन
5. दिनांक 01.01.2026 को आयु :-
6. लिंग (पुरुष/महिला) :-
7. जाति/वर्ग (अनु.जा./अनु.जन.जा./अ.पि.व/सामान्य):-

8. पत्र व्यवहार का पता :-

मो.न.
ई-मेल

9. स्थायी पता :-

मो.न.
ई-मेल

10. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :-

11. यदि आवेदक विवाहित है, तो विवाह की तिथि :-

जीवित बच्चों की संख्या :-

12. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्ध शासकीय/गैर सरकारी संगठन में सेवारत है?

13. शैक्षणिक योग्यता :- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण.....

8. अनुभव प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण (कब से कब तक)	कुल अनुभव वर्ष	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

14. अनिवार्य संलग्नों की सूची— (आवेदन के साथ क्रमबद्ध संलग्न करें)

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
3. 12 वीं की अंक सूची।
4. स्नातक की अंक सूची।
5. स्नातकोत्तर की अंक सूची (पदानुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पदानुरूप आवश्यक होने पर)
7. जाति प्रमाण पत्र।
8. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र।
09. अन्य संलग्नों का विवरण:-
01.
02.
03.
04.

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाने योग्य होगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर